प्रस्थापना (निविदा) प्रपत्र राशि रूपये 500/-

रसीद क्रमांक ....

दिनांक ....

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ़)

पं.रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा में निर्मित भवनों का आबंटन हेतु निविदा प्रपत्र

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

1. प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम :..

   अंग्रेजी में :..

2. पिता / पति का नाम :..

3. पता :..

   :..

   :..

4. योजना का नाम : **पं.रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा**

5. भवन का प्रकार : **सीनियर एच.आई.जी./जुनियर एच.आई.जी./ एम.आई.जी.**

6. **भवन का प्रकार एवं क्रमांक** (रिक्त मकान क्रमांक जिसके लिए निविदा दी गई है, केवल एक ही क्रमांक अंकित करें) : **भवन का प्रकार** ....

   भवन क्रमांक ....

7. निविदा/प्रस्थापना की अधिकतम राशि (रूपये में) :..
   (निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित)

   अंको में :..

8. अमानत राशि रूपये .... रसीद क्रमांक .... दिनांक ....
   (फोटो प्रति संलग्न करें)

9. निविदा तिथि – **12.02.2014**

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम – ....

पिता/पति का नाम– ....

पूरा पता ....

....

मोबाईल नं. ....

UPLOAD

ADAV/D/Pm5/Building

कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

विभिन्न आय वर्ग के आवास के नीलामी/प्रस्थापना शर्ते

1. खुले नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने के पूर्व निर्धारित अमानत राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा को देय हो द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी व्यक्ति नीलामी/प्रस्थापना में भाग नहीं ले सकेगा तथा न ही बोली/प्रस्थापना पर विचार किया जावेगा। अमानत राशि दिनांक ..... से नीलामी तिथि के एक दिवस पूर्व तक नगर पालिक निगम कोरबा में जमा कराना होगा। नीलामी/प्रस्थापना तिथि को अमानत राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. उच्चतम बोली/प्रस्थापना छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम एवं अचल संपत्ति अंतरण नियम के स्वीकृति के अधीन होगी।
3. छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के तहत में निगम अधिकारी कोई भी उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
4. (अ) उच्चतम बोली बोलने/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा ये सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी बोली/प्रस्थापना शर्त (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं। बोली/प्रस्थापना की शत प्रतिशत राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। परंतु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट का अवधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्रहित कर ली जायेगी।
   (ब) उच्चतम बोली/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करना होगा (इसमें जमा अमानत राशि समायोाजित कर ली जावेगी।)
   (स) इसके साथ ही राशि जमा करने हेतु बोली बोलने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित विकल्प भी दिए गए हैं :–
   I. उच्चतम बोली बोलने वाला/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति चाहे तो निर्धारित 30 दिवस के भीतर किसी अन्य वित्तीय संस्था में ऋण लेकर संपूर्ण राशि निगम कोष में जमा कर सकता हैं। जिसके लिए नगर पालिक निगम द्वारा उसे आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
   II. स्थल सीमांकन में यदि आवास गृह में कोई भूखण्ड कम आकार का अथवा अधिक आकार का उपलब्ध होता है तो यथा स्थिति उसकी राशि वापस की जावेगी अथवा तत्समय बाजार दर पर अतिरिक्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
5. यथास्थिति, घोष विक्रय के समाप्त होने पर प्रस्थापना किए जाने के तत्काल पश्चात यथा स्थिति प्रथम 2 उच्चतम बोली बोलने वालों/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूमि निक्षेप की राशि छोड़कर शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि मूल रसीद के साथ आवेदन करने पर वापस कर दी जावेगी।
6. जैसे ही घोष विक्रय/प्रस्थापना की पूरी राशि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले द्वारा जमा की जाती है शेष बचे एक बोली लगाने/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।
7. यदि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले, जिसकी बोली/प्रस्थापना स्वीकृत किए गये हैं, द्वारा बोली प्रस्थापना की राशि विहित समय के भीतर जमा नहीं की जाती हैं, तब शर्त (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा तथा यदि ऐसी बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर बोली/प्रस्थापना की राशि जमा नहीं की जाती हैं। तब ऐसे द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अभिग्रहित कर ली जायेगी।
8. यदि शर्त (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः घोष विक्रय किया जायेगा या प्रस्थापना आमांत्रित की जाये, तब यथा स्थिति द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता या प्रस्थापना करने वाले, की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जायेगी।

UPLOAD

9. प्रत्येक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को केवल एक ही आवास गृह की आबंटन की पात्रता होगी, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में शपथ देना होगा कि निगम की किसी अन्य योजना में उन्हें अथवा उनके परिवार को कोई भूखण्ड अथवा आवासीय भवन आबंटित नहीं हैं। यह शपथ पत्र नीलामी पश्चात उच्चतम घोषकेता को एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति को आबंटन स्वीकृति की स्थिति में यदि वह विवाहित है, तो आवास गृह का आबंटन उसके तथा उसके पति/पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जावेगा।
11. आवास गृह की खुली नीलामी/प्रस्थापना में भाग लेने वाले व्यक्ति अपनी बोली/प्रस्थापना देने के पूर्व सबंधित आवास गृह के भूखण्ड/निर्मित क्षेत्रफल तथा निर्माण स्तर आदि के बारे में संतुष्ट होकर ही भाग लेंगें। बोली/प्रस्थापना प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में उनका कोई अभ्यावेदन अथवा दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।
12. नीलामी/प्रस्थापना स्वीकृति की स्थिति में निर्धारित अवधि में पूर्ण राशि जमा करने पर आबंटिती को 06 माह अवधि के भीतर आबंटित आवास गृह का विक्रय डीड एवं भूमि की लीज डीड निर्धारित राशि के स्टांप पर स्वयं के व्यय पर कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा आबंटन निरस्त कर दिया जावेगी।
13. नीलामी में सफल घोषकर्ता/प्रस्थापना की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आबंटिती को निर्धारित दिए गए विकल्पों के अनुसार राशि जमा करते हुए एवं औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवास गृह का आधिपत्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
14. जिस व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक घोष विक्रय/प्रस्थापना आवास गृह लिया जावेगा वह व्यक्ति निगम के बिना पूर्व स्वीकृति के आवास कृह को विक्रय नहीं कर सकेगा। नाम परिवर्तन के इच्छुक होने पर आबंटिती को नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन करना होगा, जिस पर विचार किया जाकर शासन के दिशा निर्देश के अनुसार विचार किया जाकर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। किंतु आवास गृह आबंटन के 05 वर्ष की अवधि के अंदर ऐसी अनुमति नहीं दी जावेगी।
15. आबंटिती को आवास गृह आबंटन की स्थिति में भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन बिना नगर पालिक निगम कोरबा भवन निर्माण अनुमति में नहीं किया जा सकेगा। ऐसा कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन निगम की उसअनुमति से भवन निर्माण संबंधी प्रावधान के अंतर्गत किया जा सकेगा।
16. आबंटिती को आवास गृह में विद्युत संयोजन एवं जल संयोजन अपने स्वयं के व्यय पर स्वतः कराना होगा।
17. आबंटिती को आबंटित आवास गृह का निर्धारित लीज रेन्ट एवं समस्त नगर पालिक निगम अथवा शासन के करों का भुगतान संबंधित विभाग को करना होगा।
18. नगर पालिक निगम के आयुक्त को अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि नीलामी के दौरान किसी भी व्यक्ति को युक्तियुक्त कारणों पर बोली बोलने से रोक देवे, जिसके लिए व्यक्ति को युक्तियुक्त कारणों पर बोली बोलने से रोक देवे, जिसके लिए व्यक्ति विशेष को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
19. उपरोक्त नीलामी शर्तो के कियान्वयन अथवा उसकी व्यवस्था में कोई विवाद होने पर अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्ति को पंच फैसला हेतु आवेदन किया जावेगा। जिसका निर्णय अंतिम व पक्षकारों को मान्य होगा।
20. कोई भी बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का नगर पालिक निगम आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा।
21. लीज डीड/विक्रय डीड हेतु निगम के स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप को इन शर्तो का भाग माना जावेगा। दोनों में विरोधाभाष होने पर स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप का अंतिम माना जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)